

## वर्ल्ड वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024

### प्रलिस के ललल:

धन शोधन और अवैध वन्यजीव वुतलर, [संगठतल अडरलध](#), [डैंगोलनल](#), [गैडे कल अवैध शकलर](#)

### डेनू के ललल:

संगठतल अडरलध और वन्यजीव तसुकरी, वन्यजीव संरकुषण

[सुरत: डलउन टू अरथ](#)

### कुरकल डें कुरुु?

डरगूँस और अडरलध डर संडुकुत रलषुटर कलरुडलल (UNODC) ने हलल ही डें वर्ल्ड वन्यजीव अडरलध रलडरुट (World Wildlife Crime Report) 2024 कल तीसुरल संसुकरण कलरी कलल है ।

- इसडें वरूष 2015 से 2021 तक अवैध वन्यजीव वुतलर कल वुतलक वशललूषण डरसुतुत कलल गलल है ।

### डरगूँस और अडरलध डर संडुकुत रलषुटर कलरुडलल (UNODC):


- इसकुरी सुथलडनल दवल नरुडुतुरण और अडरलध नवलरण कलरुडलल (Office for Drug Control and Crime Prevention) के रूड डें वरूष 1997 डें कुरी गई थी । वरूष 2002 डें इसकल नलड डदलकुर डूनलइटेड नेशंस ऑडसल ऑड डरगूँस एंड कुरलडड (UNODC) अरथलु डरगूँस और अडरलध डर संडुकुत रलषुटर कलरुडलल कुर दडुल गलल ।
- डह संडुकुत रलषुटर अंतुररलषुटरीड डरगूँस नरुडुतुरण कलरुडकुरड (UNDCP) और वडुनल डें संडुकुत रलषुटर कलरुडलल के अडरलध रोकथलड एंव आडरलधकल नुतलड डरडलकुर डरगूँस नरुडुतुरण तथल अडरलध रोकथलड कलरुडलल के रूड डें कलरुड कुरतल है ।

### रलडरुट के डुखुड डदु कुरल है?

- कंतु एंव डलदड उतुडलदुु कुरी तसुकुरी:
  - गैडे के सींग- अवैध डशु वुतलर डें इसकुरी हसुसेदलरी सडसे अधकल (29%) है, इसके डलद डैंगोलनल के सकुल/शलुक (28%) और हलथी दलुत (15%) कल सुथलन है ।
    - गैडल (कंतु) और देवदलर (डलदड)- वरूष 2015 से 2021 के डुड वैशुवकल रूड से अवैध वन्यजीव वुतलर के कललतेसरुवलधकल डरडलवतल हुए ।
  - अवैध रूड से वुतलर कुरी कलने वलली अनुड कंतु डरकलतडुडु- ईल (5%), डगरडकूक (5%), तुते और कलकटू (2%), डलंसलहलरी कलनवरुु, ककूए, सलुड और सडुदुरी डुडे ।
  - अवैध रूड से वुतलर कुरलने वलले डरडुख डुधे- देवदलर और डहुगनी, हुली टुरी कुरी लकडुडुडु और गुआकड डैसे अनुड सैडडुलस डलकुर 47% कुरी डलगीदलरी के सलथ सडसे डडु डलकुरल हसुसेदलरी कल नरुडलण कुरते है , इसके डलद 35% हसुसेदलरी शीशड तथल 13% हसुसेदलरी अगरवुड एंव अनुड डलडरुटलस कुरी रहल ।


## Species most affected

Just 15 broad markets comprised the bulk of the observed illegal wildlife trade during 2015–2021 based on standardized seizure index



## Diversity of species recorded in seizures

Percentage share of all seizure records by species group 2015–2021




### ■ व्यापार में वस्तुएँ:

- वस्तुओं में **प्रवाल के टुकड़े (Coral Pieces)** सबसे अधिक पाए गए और वर्ष 2015-2016 के दौरान सभी ज़बती में से 16% इसमें शामिल थे; जीवित नमूने- 15%, जबकि पशु उत्पादों से बनी दवाओं की बरामदगी 10% थी।

## Commodities in trade

Top commodities by percentage of seizure records 2015–2021




### ■ स्रोत राष्ट्रों में जाने के लिये अस्थि प्रसंस्करण:

- रपौर्ट के अनुसार, अस्थियों का प्रसंस्करण गंतव्य देशों (सुदूर पूर्व) में होता था, लेकिन अब उन महाद्वीपों (अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया) से भी अस्थियों का प्रसंस्करण संभव है, जिनके नज़दीक इनका उत्पादन होता है।
- यह चिंताजनक है क्योंकि प्रसंस्करण के बाद इनकी तस्करी करना आसान होगा, जैसे कि अस्थियों को पेस्ट के रूप में संसाधित करना और यह स्पष्ट नहीं होगा कि इनका इरादा नरियात, स्थानीय उपयोग या दोनों के लिये है।
- रपौर्ट में बाघ की अस्थियों के स्थान पर शेर और जगुआर की अस्थियों को रखने के बारे में चिंता व्यक्त की गई है, जिन्हें पारंपरिक चीनी चिकित्सा में अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है।

### ■ SDG लक्ष्य संख्या 15.7 से ऑफ-ट्रैक:

- वर्ष 2024 में UNODC ने SDG लक्ष्य 15.7 पर प्रगतिको ट्रैक करने के लिये एक नया संकेतक पेश किया, जिसका उद्देश्य अवैध वन्यजीव तस्करी को रोकना है।
- बढ़ते अवैध व्यापार से पता चलता है कि वन्यजीव व्यापार (कानूनी और अवैध) की तुलना में अवैध वन्यजीव व्यापार कक्षनुपात 2017 से बढ़ रहा है।
  - कोविड-19 महामारी (2020-2021) के दौरान समस्या और भी बदतर हो गई, वन्यजीवों की ज़बती वैश्विक व्यापार के 1.4-1.9% के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई।
- पछिले वर्षों में 0.5-1.1% की तुलना में वर्तमान में अवैध वन्यजीव व्यापार में हो रही वृद्धि से पता चलता है कि विश्व वर्ष 2030 तक प्रस्तावित SDG लक्ष्य 15.7 प्राप्त करने की दशा में अग्रसर नहीं है।

## Factors driving and enabling participation in wildlife crime and undermining remedial action



## वन्यजीव अपराध के लिये ज़िम्मेदार कारक क्या हैं?

- **संगठित वाणज्यिक अवैध स्रोत:**
  - संगठित अपराध समूह दूर से संचालित होकर हाथी और बाघ के अवैध शिकार, अवैध मछली पकड़ने और लॉगिंग जैसी गतिविधियों में शामिल होते हैं और अक्सर अन्य आपराधिक उद्यमों के साथ सत्ता संबंधों, भ्रष्टाचार, अवैध आग्नेयास्त्रों और धन-शोधन के अवसरों का उपयोग करते हैं।
  - संपूर्ण व्यापार शृंखला में नरियात, आयात, दलाली, भंडारण, जीवित नमूनों का प्रजनन और प्रोसेसर के साथ इंटरफेसिंग जैसी विशेष भूमिकाओं में संगठित अपराध स्पष्ट है।
- **अनुपूरक आजीविका और अवसरवादिता:**
  - हालाँकि कुछ तस्करी के पीछे बड़े आपराधिक समूह हो सकते हैं, वहीं कई गरीब लोग भी हैं जो केवल अपना गुज़ारा करने का प्रयास कर रहे हैं।
  - कभी-कभी अवैध शिकार इसलिये होता है क्योंकि लोग अपनी फसलों या पशुओं को जंगली जानवरों से बचाने को बेताब रहते हैं।
- **काला बाज़ार नई मांग उत्पन्न करता है:**
  - जब किसी उत्पाद का कानूनी उपयोग कम हो जाता है, तो अवैध व्यापारी बिक्री जारी रखने के लिये इसका उपयोग करने के नए तरीके ईजाद कर सकते हैं।
  - दुर्लभ जानवरों, पौधों, या लुप्तप्राय प्रजातियों की ट्राफियों (हाथी दाँत, बड़ी बल्लि की खाल) जैसी लक्ष्यी वस्तुओं की कमी वास्तव में अवैध बाज़ारों में मांग को बढ़ा सकती है, जिससे अधिक खरीदार आकर्षित होंगे।
- **भ्रष्टाचार:**
  - यह नरीक्षण बट्टियों पर रशिवतखोरी से लेकर परमिट जारी करने और कानूनी नरिण्यों पर उच्च-स्तरीय प्रभाव तस्करी को बाधित करने तथा रोकने के प्रयासों को कमज़ोर करता है।
  - भ्रष्टाचार को संबोधित करने वाले कानून में मज़बूत जाँच शक्तियाँ और संभावित रूप से उच्च दंड की पेशकश के बावजूद ऐसे कानूनों के तहत वन्यजीव तस्करी पर मुकदमा चलाना असामान्य है।
- **अवैध शिकार की सांस्कृतिक जड़ें:**
  - लोग केवल धनार्जन हेतु वन्यजीवों का अवैध शिकार नहीं करते क्योंकि कभी-कभी यह उनकी संस्कृति का हिस्सा होता है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में चिको रज़िर्व की परधि में शोध से पता चला कि कुछ लोग हाथियों के शिकार को अपनी सांस्कृतिक पहचान के रूप में मानते हैं, जो बहादुरी एवं पुरुषार्थ का प्रतीक है तथा यह पीढ़ियों से चली आ रही है।

## वन्यजीव अपराध और तस्करी के प्रभाव क्या हैं?

#### ■ पर्यावरण संबंधी प्रभाव:

- **प्रजातियों का अत्यधिक दोहन:** वन्यजीव अपराध के कारण **अत्यधिक दोहन** द्वारा जैवविविधता का क्षरण होता है, जिससे जनसंख्या में कमी आती है और वलुपत होने का संकट होता है। पारस्थितिक तंत्र की कार्य पद्धति के लिये प्रजातियों की विविधता महत्त्वपूर्ण है।
- **पारस्थितिक प्रभाव:** वन्यजीवों के अत्यधिक दोहन के कारण **लगानुपात असंतुलन** व **धीमी प्रजनन दर** जैसी दीर्घकालिक पारस्थितिक समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
  - तस्करी से **जनसंख्या में कमी** होने के साथ-साथ यह **प्रजातियों की परस्पर निर्भरता** व **खाद्य शृंखला** एवं **खाद्य वेब (जाल)** जैसे आवश्यक **पारस्थितिक कार्यों** को बाधित कर सकती है।
- **आक्रामक प्रजातियों का फैलाव:** अवैध वन्यजीव व्यापार **गैर-देशी प्रजातियों को नए वातावरण में लाने** में योगदान कर सकता है, जिससे संभावित रूप से **आक्रामक प्रजातियाँ** पैदा हो सकती हैं जो देशी पारस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों को हानि पहुँचाती हैं।


#### ■ सामाजिक और आर्थिक नुकसान:

- **कल्याण और आजीविका:** अवैध व्यापार सहित वन्यजीव अपराध, प्रकृति के लाभों को कम करता है, भोजन, चिकित्सा, ऊर्जा और सांस्कृतिक मूल्यों को प्रभावित करता है।
  - **वशिव बैंक** के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि अवैध वन्यजीव व्यापार से **प्रति वर्ष 1-2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** की **वैश्विक आर्थिक हानि** होती है, जो मुख्य रूप से पारस्थितिक तंत्र सेवाओं के मूल्य से संबंधित है, जिसका बाज़ार स्तर पर आकलन नहीं हो पाता है।
- **नजी क्षेत्र की लागत और हानि:** वन्यजीव अपराध कानूनी वन्यजीव व्यापार और संबंधित सेवाओं में व्यवसायों की लागत तथा घाटे को बढ़ाकर अर्थव्यवस्थाओं को हानि पहुँचाता है।
  - इससे संसाधन तक पहुँच में कमी आने, अनुचित प्रतिस्पर्द्धा होने तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठा की हानि होने से वैधता सत्यापन के संदर्भ में अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ सकती है।
- **स्वास्थ्य जोखिम:** वन्यजीव व्यापार से मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिये रोग संचरण का गंभीर जोखिम उत्पन्न होता है, **साथ ही प्राकृतिक पारस्थितिक तंत्र, पशुधन और कृषि प्रणालियों के लिये भी खतरा बढ़ता है।**
- **पर्यावरण रक्षकों को हानि:** पुलिस, सीमा शुल्क, वन्यजीव रेंजरस भी शिकारियों द्वारा उत्पीड़न, हिसा और यहाँ तक कि जीवन की हानि के प्रति संवेदनशील होते हैं।

#### ■ शासन से हानि:

- **वधिक शासन को कमजोर करना:** अवैध वन्यजीव व्यापार कानून के शासन को कमजोर करता है और साथ ही प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं आपराधिक न्याय प्रतिक्रियाओं को कमजोर करता है।
  - **भ्रष्टाचार** कानून और राजनीतिक स्थिरता से समझौता कर इस व्यापार को सुगम बनाता है। इसके अतिरिक्त मनी लॉन्ड्रिंग वन्यजीव अपराध से जुड़ा हुआ है, हालाँकि इसकी वित्तीय जाँच सीमित है।
- **सरकारी राजस्व की हानि:** वन्यजीव अपराध **वधिक शुल्क, करों एवं पर्यटन आय की चोरी करके स्रोत देशों में सरकारी राजस्व हानि का कारण बनता है।**
- **प्रवर्तन की वित्तीय लागतें:** वन्यजीव अपराधों के कारण वशिव स्तर पर संरक्षण, कानून प्रवर्तन एवं आपराधिक न्याय पर सरकारी व्यय में वृद्धि हुई है।

## Wildlife crime harms



## वन्यजीव अपराध को प्रभावी रूप से कम करने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- **अवैध वन्यजीव उत्पादों पर प्रतिबंध:**
  - इस दृष्टिकोण का उद्देश्य अवैध रूप से वन्यजीवों से प्राप्त वस्तुओं को रखने अथवा व्यापार करने को अवैध बनाकर मांग को कम करना है।
  - उदाहरण के लिये हाथीदाँत उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने से उनके दाँतों के लिये हाथियों की हत्या को हतोत्साहित किया जाएगा।
- **घरेलू वनियमों को सुदृढ़ बनाना:**
  - **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972**, **जैवविविधता अधिनियम, 2002** और **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986** जैसे मौजूदा कानूनों को सख्त करने की आवश्यकता है।
  - वन्यजीव संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करने पर दंड को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिये।
- **वन्यजीव संरक्षण का प्रभावी वित्तपोषण:**
  - बेहतर संसाधन आवंटन के साथ प्रबंधन भी आवश्यक है, यहाँ तक कि उन मामलों में भी जहाँ वित्तपोषण उपलब्ध है। धन सीधे उन सहायक संगठनों के पास जाना चाहिये जो जानवरों का संरक्षण करते हैं, जैसे कि अवैध शिकार वरिधी टीमों और पार्क रेंजरस।
  - इसके अतिरिक्त संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने और उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने से वन्यजीव अपराध को रोकने में उनकी भागीदारी बढ़ सकती है।
- **जन जागरूकता एवं सशक्तीकरण:**
  - वन्यजीव तस्करी के परिणामों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। वन्यजीवों के मूल्य के साथ-साथ अवैध उत्पादों के प्रभाव के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने से मांग में कमी आ सकती है।
  - यह ज़िम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है और व्यक्तियों को अधिकारियों की संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने हेतु प्रोत्साहित करता है।

## भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिये वधिके ढाँचे क्या हैं?

- **वन्यजीवों के लिये संवैधानिक प्रावधान:**
  - **42वें संशोधन अधिनियम, 1976** ने वनों और जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण के विषय को केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के दायरे में शामिल किया, इसे राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया।
  - **राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व** में **अनुच्छेद 48 A** यह आदेश देता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के जंगलों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा।
  - संवैधानिक **अनुच्छेद 51 A (g)** में कहा गया है कि वनों तथा वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का **मौलिक कर्तव्य** होगा।

■ वधिकि ढाँचा:

- वन्यजीव (संरक्षण) अधनियिम, 1972
- पर्यावरण संरक्षण अधनियिम, 1986
- जैवविधिता अधनियिम, 2002

■ वैश्वकि वन्यजीव संरक्षण पर्यास जसिमैं भारत एक पक्ष है:

- वन्यजीवों और वनस्पतयिों की लुप्तप्राय प्रजातयिों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभसिमय (CITES)
- प्रवासी प्रजातयिों के संरक्षण पर अभसिमय (CMS)
- जैवविधिता पर कन्वेंशन (CBD)
- वन्यजीव व्यापार नगिरानी नेटवरक (TRAFFIC)
- वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच (UNFF)

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

वन्यजीव तस्करी से नपिटने में चुनौतयिों और अवसरों पर प्रकाश डालते हुए 2024 विश्व वन्यजीव अपराध रपिर्ट के प्रमुख नषिकर्षों की आलोचनात्मक जाँच कीजयि। इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधति करने के लयि भारत के लयि एक बहु-आयामी दृष्टिकोण सुझाइ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????

प्रश्न: 'वाणजिय में प्राणजित और वनस्पत-जित के व्यापार-संबंधी विश्लेषण (ट्रेड रलिटिड एनालसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स / TRAFFIC)' के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि:

1. TRAFFIC, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के अंतरगत एक ब्यूरो है।
2. TRAFFIC का मशिन यह सुनश्चिति करना है कविन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृतिके संरक्षण को खतरा न हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

????

प्रश्न. तटीय रेत खनन, चाहे वैध हो या अवैध, हमारे पर्यावरण के लयि सबसे बडे खतरों में से एक है। वशिषिट उदाहरणों का हवाला देते हुए भारतीय तटों पर रेत खनन के प्रभाव का विश्लेषण कीजयि। (2019)

